संख्या-21/2022/569/तेइस-7-2022-123(सा0)/2018

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2022

विषय:- वाद सं0-एम0ए0सी0पी0सं0-12/2016 के सापेक्ष इजरा सं0-31/18 में मा0 न्यायालय,मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर, न्यायाधिकरण/ न्यायालय- ए0डी0जे0-त्वरित न्यायालय कोर्ट नं0-1, महाराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-04-2022 के क्रम में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3170/बीजी/209बी(03)/2022-23, दिनांक 04-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाद सं0-एम0ए0सी0पी0सं0-12/2016 के सापेक्ष इजरा सं0-31/18 में मा0 न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर , न्यायाधिकरण/ न्यायालय- ए0डी0जे0-त्वरित न्यायालय कोर्ट नं0-1, महाराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-04-2022 के क्रम में मुआवजा धनराशि रू0 3,41,800.00 के ब्याज की धनराशि रू0 1,13,516.00 (रूपये एक लाख तेरह हजार पांच सौ सोलह मात्र) के भुगतान हेतु बी0एम0-15 प्रपत्र पर डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 04-07-2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, वाद सं0-एम0ए0सी0पी0सं0-12/2016 के सापेक्ष इजरा सं0-31/18 में मा0 न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर , न्यायाधिकरण/ न्यायालय- ए0डी0जे0-त्वरित न्यायालय कोर्ट नं0-1, महाराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-04-2022 के क्रम में ब्याज धनराशि रू0 1,13,516.00 (रूपये एक लाख तेरह हजार पांच सौ सोलह मात्र) डिक्रीटल मद से आवंटन किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0301-न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य(भारित)'' मद के नामे डाला जायेगा।

4- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, गोरखपुर द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/ मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 के अनुक्रम में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रथम बार जारी किया जा रहा है। इसकी पुष्टि धनावंटन करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या-21/2022/569(1)/तेइस–7–2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
8- अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
9- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, गोरखपुर।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।